# उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0– 12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या– G20434/सी-3/NOC-नोडल/96 दिनांक– 09-6-15

## कार्यालय –ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की **सौर ऊर्जा नीति–2013** के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले सौर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना को सुगम करने हेतु ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं को पूर्व में बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों की भांति बोर्ड से जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के तहत स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है:–

1. सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग बन्धु की **"निवेश मित्र"** वेबसाइट (www.udyogbandhu.com) पर उपलब्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थापनार्थ सहमति ) आवेदन को निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ( स्थापनार्थ सहमति ) माना जायेगा एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
2. सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के पूर्व बोर्ड से जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग बन्धु की **"निवेश मित्र"** वेबसाइट (www.udyogbandhu.com) पर उपलब्ध जल एवं वायु सहमति आवेदन को निर्धारित प्रति वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने का साक्ष्य ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त सहमति शुल्क के सापेक्ष अवधि हेतु निर्गत जल एवं वायु सहमति मानी जायेगी एवं उक्त के अतिरिक्त पृथक से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से सहमति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या G02164/37/ARN/97 दिनांक 03.06.1997 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।
3. बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या एफ 59281/32/2015 दिनांक 23.04.2015 के अन्तर्गत, हरी श्रेणी के उपरोक्त उद्योग, निर्धारित वार्षिक शुल्क का भुगतान कर अधिकतम 15 वर्षों की अवधि हेतु एक मुश्त संचालन की सहमति, इस प्रतिबंध के साथ प्राप्त कर सकते हैं कि, जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदन किया गया है, उक्त अवधि का वार्षिक सहमति शुल्क एक मुश्त आवेदन के साथ जमा कर दिया जाय।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

9.6.2015

(सैयद जावेद अब्बास )
अध्यक्ष

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपि**:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड, मुख्यालय।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. वेब मास्टर एवं गार्ड फाइल।

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव